

09.24 पत्रावली पेश हुई।

मूल वाद अदम पैरवी एवं अदम
ट्राजिटी में खारिज होने से यह
आवेदन-पत्र पोषणीय नहीं होने से
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।

20/09/24
सहायक कलेक्टर
(SDO), वाडनैर

